

3.4.19

व्यापक
पत्रावली पेश/ वकील वारिदात उपस्थित ही वारीदात
के वादपत्र के तहत, वांछित अनुलोप
(प. 7.0)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुकम में ज
	<p> जवाब लिकार, वारियां हाण हाणुत सारम एवं बरस विहाम अधिवक्ता वारियां पर सम्यक विचार किया गया (तककीवार विवेचन निम्न प्रकार है। <u>तककी नं. 1:-</u> इस तककी को सिहू कर्म का भाण वारियां पर भाण वारियां हाण हुकम का शपथ-पत्र के साथ, प्रदर्श-1 नकल आवंटन हेतु आवंटन, प्रदर्श-2 भूमि आवंटन सलाहकार समिति की शर्तवारी रिपोर्ट 20.11.2010, एवं आवंटन आदेश प्रदर्श-3 नकल सलाहकार समिति, प्रदर्श-4 नकल अमावेंदी ग्राम दमपुरा सं. 2070-73 (बाला नं. 186, प्रदर्श-5 पंचायत प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सीकड़िया रिपोर्ट 6.7.16, प्रदर्श-4 में गैर खालेदार की जाति मेहर दर्ज है। प्रदर्श-2 व प्रदर्श-3 में भी आवंटनी की जाति मेहर दर्ज है। वारियां की जाति मेघवाल है। वैसे भी चम्बल परियोजना, इन्डा गांधी नहर परियोजना अर्थात् अमावेंदी क्षेत्रों को दौड़कर अनाममावेंदी क्षेत्र में आवंटित वारियां भूमि जो गैर खालेदारी में दर्ज है, कुल पर आवंटन शर्तों की पालना करने के उपरान्त संबंधित लहलीखदार आवंटनी की खालेदारी अधिकार देने हेतु समझ ही वारियां द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रेष नहीं किया जिससे प्रमाणित होता है कि आवंटनी द्वारा आवंटन की लकी शर्तों की पालना कर ली है। अतः निम्नों की परिप्रेक्ष्य में भी वारियां </p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>का जो खालेदार के स्थान पर खालेदार को किया जाना उचित नहीं पाया जाता है।</p> <p><u>लोकनी नंबर 2</u> :- इस लोकनी को सिद्ध करने का मात वारिया पर धारा 302 के अन्तर्गत प्रत्येक में रिपोर्ट पेशकारी ऑन 9.2.1 एवं अनुसंधान तहसीलदार में वारिया की जाति में धवाण ही अंकित ही ग्राम रिकॉर्डिंग की क्रम ख. नं. 1330 में वारिया के पति की जाति भी में धवाण ही है।</p> <p>इसकाण में यह तय है कि वारिया की जाति में धवाण नहीं होकर "में धवाण" ही है। प्रत्येक में अंकित गलत कमिश्नर के हुकम किया जाना उचित नहीं होता है।</p> <p>कल: यह लोकनी बरक वारिया लय की जाती है।</p>	
	<p><u>लोकनी नम्बर 3</u> :- इस लोकनी को सिद्ध करने का मात प्रतियादी पर धारा प्रतियादी द्वारा कोई साम्य प्रेम नहीं किया गया। लोकनी नंबर 2 के विवेचनानुसार यह लोकनी रिजमाक प्रतियादी बरक वारिया लय की जाती है।</p>	
	<p><u>लोकनी नम्बर 4</u> :- लोकनी नम्बर 1 के 3 के विवेचन तथा रिजमाक के आधार पर यह पाया जाता है कि वारिया का जो खालेदार के स्थान पर</p>	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुकम की त में जारी
	<p>खालदार घोषित किया जाना उचित नहीं किन्तु वारियां नी जाति मेटर के स्थान पर मेघवाल दर्ज किया जाना उचित है।</p> <p>अतः रावा वारियां अंशतः स्वीकार किया जाकर अंशतः विर्य जाला ^{हंकि} ^{गंगाम} इमपुरा नी अमि खसरा नं० २११ फवा ०.५० हेक्टर पर वारियां नी जाति मेटर के स्थान पर मेघवाल दर्ज नी जायें रिकार्ड में अमल रामद ही।</p> <p>लखनपुर डिप्टी मजिस्ट्रेट हा (फवापी) बाद लागू लकड़ी व लमीम कल सुभाए हाकर दारियन उधार ही।</p> <p>निर्णय आज दिनेक ३.५.२०१९ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सी इकास पुनया</p>	

३/५/१९
(चिमनलाल श्रीवा)
उपखण्ड अधिपति
रामगंजमण्डी

डिकरी बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपावठ अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी
 व इजलास चिमनलाल भीठा (R.A.S.)
विधीवाइ बनाम साकार

दावा बाबत ११-१५-१८८ R.T. Act, 1955

मुकदमा नं 68 सन 2015
 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुस चिमनलाल भीठा (R.A.S.)
 व हाजरी श्री सुरेश सिंह शहाबत एड. मिनजानिव मुदई व पेटोका लकाट

मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि
दावा वादिया अंशतः लीकाट किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि गंजम दगापुर की ग्राम खत नं 211 (कवा) 0.50 एं 0.50 पर जारीया की जाती है हर के हिसाब पर मेधवाले दर्ज की जायें।

नीज ५ मुबलिया ५ बाबत ४
 खर्चा इस मुकदमे का मय सूद व शरह ५ फौसदी सालाना आज की तारीख
 में तारीख वसूलयायी तक ४ को अदा करे।
 बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 3 मह ५ 2019
 का जारी की गई।

जयपाल
 खण्ड अधिकारी
 रामगंजमण्डी
 ओहदा

मुहर

मुदई	रूपया	पै	मुदायलाह	रूपया
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुकमनामा	
बाबत इजराय हुकमनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मीजान		मीजान

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही करना चाहिये।

जयपाल
 उपखण्ड अधिकारी
 रामगंजमण्डी